SHRI JAI NARIAN MISRA P. G. COLLEGE, LUCKNOW
DEPARTMENT OF LAW
LLB-SECOND SEMESTER (First year)
LAW OF CRIMES –II
(OFFECNCE AGAINST PROPERTY)

Suneeta Rathore,
(Assistant Professor)
Faculty of Law,
Shri Jai Narain Misra P. G. College, Lucknow

EXTORTION (Sec-383-IPC)

Extortion / उद्दापन का अपराध – उद्दापन का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा– 383 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यह एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डालकर, कोई संपत्ति परिदत्त करने के लिए विवश करता है ।

ध्यातव्य है कि यहां पर क्षति शब्द से तात्पर्य या तो शारीरिक क्षति से है या फिर व्यक्ति की गरिमा या सम्मान को होने वाली क्षति से होता है, उद्दापन या एक्सटॉर्शन का अपराध तभी पूरा होता है जब विवश किए गए व्यक्ति द्वारा संपत्ति को परिदत्त कर दिया गया हो।

परिभाषा – दंड संहिता की धारा 383 के अनुसार " जो कोई, किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में डालता है ,और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदतत् करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है"।

क्षति – शब्द को दंड संहिता की धारा–44 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि घोतक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, या सम्पति को अवैध रूप से कारित हुई हो।

यह एक विशेष प्रकार का अपराध है जिसमें कोई मूल्यवान संपत्ति व्यक्ति से छीनी नहीं जाती परन्तु उसको परिदत्त करने के लिए व्यक्ति को विवश किया जाता है, उद्दपन के अपराध के लिए निम्नलिखित शर्तों का आवश्यक होना होता है, जिनकी अनुपस्थिति में यह अपराध संरचित नहीं होता, यह शर्तें हैं:–

1. किसी व्यक्ति ने, किसी अन्य व्यक्ति को या तो स्वयं उसे या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय मे डाला हो।
2. किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डाला जाना सआशय होना चाहिए।,
3. व्यक्ति को छति में डाला जाना बेईमानीपूर्वक आशय के साथ होना चाहिए।
4. इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, परिदत्त करने के लिए विवश किया गया हो।
   - विवश हुए व्यक्ति के द्वारा संपत्ति को, परिदत्त कर दिया गया हो।

नोट– उद्दापन दोनों प्रकार की संपत्ति के विरुद्ध चाहे वह चल हो अथवा अचल किया जा सकता है, यह अपराध चोरी के अपराध से विस्तृत अपराध होता है।

दृष्टांत– एक व्यक्ति क दूसरे व्यक्ति ख को घोरउपहति के भय में डालकर बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करता है कि वह एक सादा कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे क को दे दे, ख उस कागज पर हस्ताक्षर करके क को परिदत्त कर देता है, यहां पर ख द्वारा हस्ताक्षरित कागज, मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, अतः यहां पर क के द्वारा उद्दापन का अपराध किया गया है।

R. S. Nayak

VS

A. R. Antulay and Anothers

(1986 Cri.l.J. 1922 (SC)

के मामले में स्थापित किया गया कि उद्दापन के अपराध के लिए भय, (विवश) किया जाना आवश्यक है।

उद्दापन या एक्सटॉर्शन के अपराध के लिए दंड का प्राविधान – दंड संहिता की धारा–384 के अंतर्गत प्राविधानित किया गया है, धारा 384 के अनुसार जो कोई व्यक्ति उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

EXTORTION

Definition of Extortion (Sec.-383)— Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property, or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits "extortion".

(According to this section, there are some essential conditions to commit the offence of extortion, the Essential conditions are mentioned in Hindi Version)

“Injury” (Sec-44)—The word “Injury” denotes any harm whatever illegally caused to any person, in body, mind, reputation or property.

Illustrations - A, by putting B in fear of grievous hurt, dishonestly induces B to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. B sings and delivers the paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into a valuable security. A has committed extortion.

Punishment for extortion-Sec-384— Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

References- Text Books and Bare Act